

भारतीय नौर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10

भारत

TEN
RUPEES
Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

13AA 467312

प्रस्तुत 26

(नियम 4क देखिए)

विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा क्षेत्र (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने

वाला शपथपत्र

मेरे इस शपथपत्र पत्र/पत्री/पत्री की उमेर 36 वर्ष,
जो..... का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा
करता हूँ/करती हूँ/ शपथ पत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ....

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास सं दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं १०७

(ii) पुलिस थाना (थाने) १०७ जिला(जिले) १०७ राज्य १०७

अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके

विनके लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... १०७

(iv) न्यायालय (जिसके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई..... १०७

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किये गये थे १०७

(vi) वयु सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.....

Surender Lal.

2. जो किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधा. (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कागवास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया है और निर्दिष्ट किया गया है तो यह निम्नलिखित आमदारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... १६७
 - (ii) व्यायालय, जिसने दंडित किया है १६७
 - (iii) पुलिस थाना (थाने) १६७ ज़िला (ज़िले) १६७ शास्त्रीय १६७
 - (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अध्यर्थी कभी आरोपित किया गया है १६७
 - (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे १६७
 - (vi) व्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले व्यायालय हारा रोका गया है/ रोके गए हैं १६७
- स्थान : ०१/१२०१

Sunder Lal,
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर


तारीख : १५/११/१२

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथपत्र में, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

..... १५/११/२०१२ स्थान पर आज तारीख १५ - ०१ - २०१२ को

सत्यापित किया।



Certified that SRI/SRI SRI Sunder Lal
The deponent is Declarer by SRI Sunder Lal
SRI Sunder Lal is a Notary Public in office
at Gopeshwar (C. P.)
on १५/११/१२
Finger Print
ACV. (Signature)
Gopeshwar (C. P.)
Reg. No. 14(11)2004